

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: नर्सिंग/फार्मासिस्ट/सीधी भर्ती/2015/54

दिनांक:- 2.3.2015

-:: आदेश ::-

फार्मासिस्ट भर्ती -2013 में कॉउन्सिलिंग हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

क्र.सं.	जाति/वर्ग	कॉउन्सिलिंग तिथि	स्थान	कट ऑफ प्रतिशत
1.	सभी जाति/वर्ग की महिलाएँ, (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी/एसबीसी)	03/03/2015	राजस्थान परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हीरा बाग (एस.एम.एस. हॉस्पिटल के पास), जयपुर	59.441
2.	सभी जाति/वर्ग के पुरुष (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी/एसबीसी)	04/03/2015		64.780
3.	सभी जाति/वर्ग के पुरुष (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी/एसबीसी)	09/03/2015		61.992
4.	अन्य पिछडा वर्ग के पुरुष	10/03/2015		59.804
5.	1. अनुसुचित जाति वर्ग के पुरुष 2. अनुसुचित जाति वर्ग की महिलाएँ	11/03/2015		53.414 43.775
6.	1. अन्य पिछडा वर्ग की महिलाएँ	12/03/2015		53.023
	2. अनुसुचित जनजाति वर्ग के पुरुष			37.400
	3. अनुसुचित जनजाति वर्ग की महिलाएँ			50.839
	4. विशेष पिछडा वर्ग के पुरुष			56.831
	5. विशेष पिछडा वर्ग की महिलाएँ			47.923
7.	1. टी एस पी अनुसुचित जाति वर्ग	13/03/2015		48.246
	2. टी एस पी अनुसुचित जनजाति वर्ग			50.074
	3. विशेष योग्यजन पुरुष/महिलाएँ			37.562
	4. उत्कृष्ट खिलाडी पुरुष/महिलाएँ			43.877
	5. विवाह विच्छिन			41.854
	6. विधवा			55.029
	7. भूतपूर्व सैनिक			44.608

तिथि वाईज एवं वर्गवार उपरोक्तानुसार निर्धारित कटऑफ प्रतिशत का आधार:- फार्मसी में प्राप्त अंकों का 85 प्रतिशत + अनुभव हेतु देय बोनस अंक अधिकतम 15 अंक।

डी-फार्मा/बी-फार्मा के अंकों का 85 प्रतिशत वेटेज और अनुभव के प्रत्येक एक वर्ष के 5 अंक एवं अधिकतम तीन वर्ष के 15 अंक के आधार पर उपरोक्त कटऑफ के अनुसार यदि उस वर्ग के अभ्यर्थी के अंक इस कट ऑफ से अधिक है एवं पूर्व में आवेदन किया हुआ है तो वह उपरोक्त वर्गानुसार नियत तिथि को अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।


(दिनेश कुमार जांगिड़)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

कमांक: नर्सिंग/फार्मासिस्ट/सीधी भर्ती/2015/54

दिनांक:- 2.3.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री महावीर प्रसाद वर्मा, संयुक्त शासन सचिव, एन.एच.एम., जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. डा० आर.एस. छीपी, अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), निदेशालय।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(दिनेश कुमार जांगिड़)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर